

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2014—श्रावण 15, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (33).—यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है ;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-60-2005-1-पांच (5), दिनांक 26 मार्च 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक तथा शब्द "30 जून, 2014" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2015" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2005-1-पांच (33), दिनांक 6 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 6th August 2014

No. F-A-3-60-2005-1-V(33).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-60-2005-1-V (5) dated 26th March 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, for the figures and word “30th June, 2014”, the figures and word “31st March, 2015”, shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.